# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

**पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०**

**प्रकरण संख्या– 11/2015**

**बउनवान**

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां ( प्रार्थी )

**बनाम**

बद्रीलाल पुत्र श्री कृष्ण, जाति मीना, निवासी माथना, तहसील बारां, जिला बारां ( अप्रार्थी )

**रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार ( प्रार्थी )

2. श्री घनश्याम गर्ग एडवोकेट ( अप्रार्थी )

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)

**आदेश दिनांक– 24.08.2022**

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में ग्राम माथना की आराजी खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2 अप्रार्थी के खाते दर्ज है। ग्राम माथना की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2015–2024 में खसरा नं. 571 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.खाल खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038– 2057 साबिक खसरा नंबर 571 से हाल खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. कायम हुए हैं। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट कार्य उक्त आराजी की किस्म नहरी II दर्ज र उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी. बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै.मु. खाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशयच का पेश हुआ कि प्रस्तुत रेफरेन्स में आवंटन की तारीख, आवंटी का नाम नहीं होने व पत्रावली में आवंटन आदेश [illegible] प्रकरण निरस्त योग्य है। कार्यवाही काफी विलम्ब से पेश की गई है अप्रार्थी को भूमि [illegible] अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इस कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं है। [illegible] विवादित आराजी का खसरा नंबर 575 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा [illegible] जो कृषि योग्य भूमि थी [illegible] खाल नही थी। इसी कारण अप्रार्थी के पिता श्रीकृष्ण पुत्र कालू [illegible] को आवंटन किया [illegible] खातेदारी प्रदान की गई तथा 48 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु होने से अप्रार्थी के खाते दर्ज हुई तभी से अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। सेटलमेंट संवत 2038–2057 मिलान क्षेत्रफल में पुराना खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

571 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु. खाल के नये खसरा नंबर 1028 रकबा 0.21 है., 1030 रकबा 0.10 है., 1033 रकबा 0.17 है., 1023 रकबा 0.08 है. 1026 रकबा 0.03 है., 1037 रकबा 0.20 है., 1036 रकबा 0.24 है. एवं 1034 रकबा 0.12 है. कुल किता 8 रकबा 1.15 है. बनाया गया जो पुराने रकबे से मुल खाता है जिसका मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान कब्जा काश्त धारियों का भी रिकार्ड न्यायहित में मंगवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में खसरा नं. 1033 रकबा 0.17 है. गै.मु. खाल नक्शे में खाल के रूप में दर्शाया गया है शेष अन्य खसरा नंबर 1023, 1026, 1027, 1029, 1030, 1036, 1037 कृषि योग्य भूमि है जिन पर कई कृषक मौके पर काबिज काश्त हैं तथा हाल खसरा नंबर 1034 रकबा 0.17 है. मौके पर आसपास के खेतों के पानी की निकासी के लिये है न कि बरसाती पानी निकालने का पुराना खाल नाल है। अतः उक्त कार्यवाही निरस्त फरमावें।

3— जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

4— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम माथना की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2015—2024 में खसरा नं. 571 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु. खाल के भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट कार्य मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038—2057 हाल खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2 कायम कर मुताबिक जमाबंदी संवत् 2038—2057 अवैधानिक रूप से बद्रीलाल पुत्र श्री कृष्ण, जाति मीना, निवासी माथना, तहसील बारां के खाते दर्ज कर दिया। जो वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066—69 हाल खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी 2. किस्म नहरी 2 बद्रीलाल पुत्र श्री कृष्ण जाति मीना साकिन माथना के खाते दर्ज है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भूमि साबिक खसरा नं. 571 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा हाल खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. के आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर पूर्व की स्थिति गै.मु. खाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में समतल काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य भूमि स्थित है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। आराजी अप्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी के खाते दर्ज होने के लगभग 48 वर्ष से अधिक समय पश्चात तहसीलदार बारां द्वारा उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के रेफरेंस/टीए/2580/2012/बारां तहसीलदार बनाम भगा में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2019 की छायाप्रति पेश कर प्रकरण खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

6— हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी II जो कि साबिक खसरा नं. 571 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा से कायम हुआ है तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2015—24 अनुसार आराजी खसरा नंबर 571 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै.मु. खाल खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. खाल खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के खाते वर्तमान में वाके ग्राम माथना में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1029 रकबा 0.21 है. एवं 1030 रकबा 0.10 है. किस्म नहरी II को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 571 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु. खाल से बना है जिसका बद्रीलाल पुत्र श्री कृष्ण जाति मीना साकिन माथना को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested